भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 457

गुरूवार, 6 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

जनजातीय उद्यमी

457 डा. सस्मित पात्रा:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पर्यटन क्षेत्र में जनजातीय उद्यमियों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय के पास इको-टूरिज्म परियोजनाओं, विशेष रूप से सिमलीपाल और ओडिशा के अन्य पर्यटन स्थलों में वन पट्टे की भूमि को विकसित करने में जनजातीय उद्यमियों को सहायता देने के लिए कोई योजना है;

(ग) क्या मंत्रालय पर्यटन क्षेत्र में जनजातीय उद्यमियों के विकास के लिए एक कॉर्पस कोष बनाने की योजना बना रही है; और

(घ) क्या मंत्रालय के पास भारत में पर्यटन क्षेत्र में ₹1 करोड़ से ₹5 करोड़ तक की परियोजनाओं के लिए जनजातीय उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करने का प्रावधान है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): सरकार ने 'प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान' के हिस्से के रूप में पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत जनजातीय होमस्टे विकास से संबंधित पहल को मंजूरी दी है। उक्त हस्तक्षेप में नए निर्माण के लिए प्रति इकाई 5.00 लाख रुपये तक, नवीनीकरण के लिए 3.00 लाख रुपये तक और ग्रामीण समुदाय की आवश्यकताओं के लिए 5.00 लाख रुपये तक की सहायता के साथ 1000 होमस्टे का विकास शामिल है।

पर्यटन मंत्रालय अपने सतत प्रयासों के भाग के रूप में ओडिशा राज्य में जनजातीय पर्यटन सहित भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों को प्रचार कार्यक्रमों, मेलों और त्योहारों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों को सहायता, प्रदर्शनियों में भागीदारी, वेबसाइट, सोशल मीडिया आदि जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से बढ़ावा देता है।

पर्यटन मंत्रालय के पास भारत में पर्यटन क्षेत्र में 1 करोड़ रु से 5 करोड़ रु तक की परियोजनाओं के लिए जनजातीय उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करने की कोई योजना नहीं

है। हालाँकि, मंत्रालय स्वदेश दर्शन और पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद) नामक अपनी योजनाओं के तहत पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

भारत सरकार ने प्रतिष्ठित पर्यटक केन्द्रों के विकास के लिए पूंजी निवेश हेतु राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को विशेष सहायता हेतु दिशा-निर्देशों के अंतर्गत ओडिशा राज्य में विकास के लिए हीराकुंड और सतकोसिया को अनुमोदित किया है।

जनजातीय क्षेत्रों में किए गए हस्तक्षेपों सहित ओडिशा राज्य में उपर्युक्त योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची **अनुबंध** में दी गई है।

*****

अनुबंध

डा. सस्मित पात्रा द्वारा जनजातीय उद्यमी के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के लिखित प्रश्न संख्या 460 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में **विवरण**

ओडिशा राज्य में स्वदेश दर्शन योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	**परिपथ**	**स्वीकृति वर्ष**	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)**
1.	तटीय परिपथ	2016-17	गोपालपुर, बरकुल, सतपाड़ा और तम्पारा का विकास	70.82

ओडिशा राज्य में प्रशाद योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृति वर्ष**	**अनुमोदित लागत (करोड़ रु. में)**
1.	पुरी में अवसंरचना का विकास	2014-15	50.00

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण- तेलंगाना राज्य के लिए प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों को वैश्विक स्तर पर विकसित करने की योजना

क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृत लागत (करोड़ रु. में)**	**स्वीकृति तिथि**
1.	हीराकुंड का विकास	99.90	26-11-2024
2.	सतकोसिया का विकास	99.99	26-11-2024

*****